

# राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०

जी-१/१३८, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

## वर्ष 2017–18 की अवधि के लिये प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार की प्रि-प्रिन्टेड कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय करने हेतु निविदा

मुद्रणालय को वर्ष 2017–18 की अवधि (अनुबंध तिथि से 31.03.2018 तक) के लिए प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार की प्रि-प्रिन्टेड कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय करने हेतु प्रतिष्ठित रजिस्टर्ड फर्मों/मुद्रकों/निर्माताओं से सीलबंद द्वि निविदा पद्धति से निविदा दिनांक 03.03.2017 को सायं 5.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। टू बिड पद्धति से ऑनलाईन बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) मय मूल प्रपत्र, बिड्स शर्तों (परिशिष्ट “अ” से “स”) का मुद्रणालय की वेबसाईट [www.thecooperativepress.com](http://www.thecooperativepress.com) व [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) व [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर अवलोकन किया जा सकता है। इन्हे बिडर द्वारा वेबसाईट [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) पर अपलोड किया जाना है। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

प्राप्त बिड्स के प्रस्तावों में तकनीकी बिड को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष दिनांक 07.03.2017 को दोपहर 1.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता की “वित्तीय बिड” को ही खोला जायेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुद्रणालय को होगा तथा इस संबंध में मुद्रणालय का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड्स प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्त बोलीदाता को स्वीकार है। बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/इ.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, आदि तरीकों से जोकि राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित हैं, द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि०, जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी। राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ अपलोड करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि मुद्रणालय में पूर्व वर्णित तरीकों से किसी एक द्वारा मुद्रणालय के पक्ष में जमा करानी होगी इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। सफल बोलीदाता को सामग्री के मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सामान के मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर नियमानुसार प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित करार (अनुबन्ध) करना होगा।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2018 तक होगी। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्न : निविदा प्रपत्र एवं शर्ते

प्रबन्ध निदेशक

## राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,

जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

वर्ष 2017–18 की अवधि के लिये प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार की प्री-प्रिन्टेड कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय करने हेतु निविदा  
प्रपत्र प्रथम "तकनीकी निविदा"

1. बिड प्रपत्र मूल्य रु. 1000/- द्वारा डी.डी. सं0 ..... दिनांक .....
2. बिड सबमिशन समाप्ति की दिनांक 03.03.2017 को सांय 5.00 बजे तक
3. तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 07.03.2017 को दोपहर 1.00 बजे
- 4 बिड का अनुमानित मूल्य 1.00 करोड़ रु0

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता.....

.....

बोलीदाता फर्म के कार्यालय/गोदाम/कार्यशाला का पूर्ण पता .....

फोन नं. ....

.....ई-मेल .....मोबाइल नं. ....

1. बिड प्राप्तकर्ता प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर

1	बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत 1.00 करोड़ रु0 का 2% (2 लाख रु0)	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण .....
2 (i)	बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधित छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ है। इस प्रकार की ईकाई बिड सूचना में बताई गई अनुबन्ध राशि का आधा प्रतिशत (50 हजार रुपये) मुद्रणालय में जमा करा दी गयी है।	बिड प्रतिभूति जमा राशि का पूर्ण विवरण .....
(ii)	उद्योग विभाग द्वारा जारी लघु उद्योग ईकाई रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संख्या ..... एव दिनांक .....	
3	डिजीटल सिगनेचर सर्टिफिकेट का विवरण	
4	प्रोसेसिंग फीस (MD, RISL) के नाम देय डीडी का विवरण (रुपये एक हजार मात्र)	डी. डी. संख्या दिनांक
5	वैट रजिस्ट्रेशन नम्बर (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।)	टिन नं./जी.एस.टी.नं.
6	वैट चुकता का प्रमाण पत्र 30.09.2016 तक का संबंधित वाणिज्यकर अधिकारी से जारी किया हुआ	

7	बोलीदाता के कार्यालय, गोदाम एवं कार्यशाला का पूर्ण पता	
8	बोलीदाता के पैन नम्बर	पैन नं.
9	बिड के साथ प्री-प्रिन्टेड कम्प्यूटर स्टेशनरी के नमूने जिन पर अपनी मोहर लगी हों, भौतिक रूप से मुद्रणालय में प्रस्तुत करने हेतु संलग्न करें।	
10	वैट की निर्धारित दर	
11	अधिकृत विक्रेता/अनुमोदित वितरक/वास्तविक विक्रेता होने का घोषणा—पत्र प्रस्तुत है।	
12	बोलीदाता के मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण (प्रपत्र संलग्न एस.आर. 11 के अनुसार)	
13	गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीस लाख रुपये के ठर्न ओवर का प्रमाण—पत्र (उत्पादन खाता/ट्रेडिंग अकाउन्ट की सनदी लेखाकार एवं अंकेक्षित प्रतियाँ)	
14	गत तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में तीस लाख की लागत की प्री-प्रिन्टेड कम्प्यूटर स्टेशनरी की आपूर्ति के कार्य के अनुभव के प्रमाण संबंधी दस्तावेज	संलग्न दस्तावेजों का विवरण
15	सनदी लेखाकार से Positive Net Worth का प्रमाण पत्र	

### बोलीदाता के हस्ताक्षर व मोहर

नोट :— तकनीकी निविदा (प्रपत्र'अ') वेबसाइट [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) पर सम्बंधित दस्तावेजों सहित पूर्णतया भरी हुई PDF Format में Cover 1 में अपलोड करनी होगी।

## बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त निविदा संख्या 4651 दिनांक 28.01.2017 के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन मे पाददर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत एतद् घोषणा करता हूँ कि :—

- (1) यह कि मुद्रणालय को प्रस्तुत उक्त बिड़स से सम्बन्धित समस्त प्रकार की व्यवसायिक तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
- (2) यह कि मैं/हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
- (3) यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
- (4) यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायापता नहीं है और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये हैं।
- (5) यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।
- (6) यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड़स शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : .....

हस्ताक्षर बोलीदाता

स्थान : .....

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

मो0नं0.....

## राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0

जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302017  
फोन नं. 0141-2751417, 2751352

### वित्तीय निविदा

वर्ष 2017–18 की अवधि के लिये विभिन्न प्रकार की प्री-प्रिन्टेड कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय करने हेतु निविदा प्रपत्र  
द्वितीय—"वित्तीय निविदा"

1. बोलीदाता का नाम व पूर्ण पता.....  
.....  
.....
2. मुद्रणालय को वर्ष 2017–18 की अवधि में प्री-प्रिन्टेड कम्प्यूटर स्टेशनरी सप्लाई हेतु हमारे द्वारा निविदा में BOQ के अनुसार दरें प्रस्तुत हैं।
3. बिड प्रपत्र के साथ बिड एवं संविदा की जो शर्त संलग्न है, हमें स्वीकार है।
4. सभी दरें टैक्स रहित (Without Tax) अंकित हैं।
5. नमूने संलग्न हैं। (भौतिक रूप से मुद्रणालय में प्रस्तुत करने हैं)
6. उपलब्ध मशीनों व उपकरणों का विवरण संलग्न है।
7. निविदा स्वीकृत होने पर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवा दी जावेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट :— वित्तीय बिड (प्रपत्र'ब') वेबसाईट eproc. rajasthan.gov.in पर दिये गये फॉरमेट में Cover 2 में दरें प्रस्तावित की जानी हैं। प्रस्तावित दरें टेक्स रहित (Without Tax) दी जानी हैं।

## राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0,

जी-1/138, मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

### विभिन्न प्रकार के प्रि-प्रिन्टेड कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय करने हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तें

**सूचना :** बोलीदाता को अपनी दरें भरते समय इन शर्तों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ा जावें। किसी प्रकार का पुनर्लेखन नहीं होना चाहिए। यदि पुनर्लेखन हो तो उस पर लघुहस्ताक्षर अंकित होने चाहिए।

1. वर्ष 2017–18 की (अनुबंध होने की तिथि से 31.03.2018 तक) अवधि के लिये विभिन्न प्रकार की प्रि-प्रिन्टेड कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय करने हेतु बिड आनलाईन ई प्रोक्योरमैन्ट प्रक्रिया से टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) आंमत्रित करने हेतु हस्ताक्षरयुक्त वेबसाईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर अपलोड कर दिनांक 03.03.2017 को सांय 5.00 बजे तक प्रस्तुत की जावेगी (1) तकनीकी बिड प्रपत्र 'अ' में बोली प्रतिभूति राशि व अन्य विवरण तथा (2) वित्तीय बिड प्रपत्र 'ब' में मुद्रणालय की स्वीकृत दरों/प्राप्त न्यूनतम दरों पर कार्य करने की सहमति स्वरूप प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
2. क्रय समिति द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड दिनांक 07.03.2017 को दोपहर 1.00 बजे खोला जायेगा। तकनीकी बिड में योग्य पाये जाने पर ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार का वाद विवाद मान्य नहीं होगा।
3. विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. फर्म आवंटित आदेश को किसी अन्य ऐजेन्सी को सबलेट नहीं करेगा।
5. संस्था को फर्म के गोदाम का निरीक्षण करने तथा गुणवत्ता/मेक आदि के बारे में जांच करने की शक्ति रहेगी।
6. बोलीदाता को अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला प्रांगण का पूर्ण पता देना होगा। जहां जाकर निरीक्षण किया जा सकेगा तथा उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता मय फोन नं. भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
7. यदि आपूर्तिकर्ता आदेशित गुणवत्ता, मेक या आकार से भिन्न सामग्री की आपूर्ति करता है तो उसे अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा बिना अतिरिक्त मूल्य के एक निश्चित अवधि के भीतर आपूर्तिकर्ता द्वारा उसको बदलना होगा।
8. सभी दरें एफ. ओ. आर. मुद्रणालय परिसर मालवीय औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर होगी, जिसके लिए कोई कार्टज व अन्य किसी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा।
9. बोलीदाता जिसकी बिड स्वीकृत की जाती है, आदेश में अंकित समय की अवधि अथवा निर्देशित अवधि में आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।
10. सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर निम्नानुसार Penatly लगाई जावेगी:—
 

(क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए;	2.5%
(ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए;	5%
(ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए;	7.5%

(1)

- (घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए; 10%
11. आपूर्ति का आदेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
  12. बिड में कोई भी अभिवृद्धि (एडीशन) एवं परिवर्तन नहीं किये जाने चाहिए।
  13. बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में निविदा एवं अनुबन्ध की समस्त शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने होगे जो कि अनुबंध का भाग होगा।
  14. तकनीकी एवं वित्तीय बिड अपलोड करते समय नियमानुसार दो प्रतिशत या लघु उद्योग इकाई के मामले में आधा प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बिड के साथ बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी/ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा/किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, आदि तरीकों से जोकि राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 में वर्णित हैं, द्वारा "राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि0, जयपुर" के पक्ष में जमा करानी होगी। इसके बिना बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। जिस फर्म की बिड स्वीकार नहीं होगी, उन्हें यह बोली प्रतिभूति राशि बिड की अंतिम स्वीकृति होने के एक माह में लौटा दी जावेगी एवं जिन बोलीदाताओं की निविदा स्वीकार की जावेगी उनके मामले में इस राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (कार्य सम्पादन प्रतिभूति) के रूप में समायोजित किया जावेगा।
  15. पूर्व में मुद्रणालय में जमा बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का बिड के साथ नियमानुसार जमा कराई जाने वाली राशि में समायोजन नहीं होगा।
  16. राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये लघु उद्योग इकाईयों के पंजीयन की मूल प्रति अथवा स्वप्रमाणित फोटो प्रति बिड के साथ संलग्न करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि मुद्रणालय में डीडी या बिन्दु संख्या 15 में वर्णित किसी तरीके से जमा करानी होगी। इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जावेगी एवं बिड पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
  17. सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में पन्द्रह दिवस में एक अनुबन्ध सम्पादित करना होगा तथा संविदा की शर्तों को भली प्रकार से निभाने के लिए नियमानुसार पांच प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को नियमानुसार एक प्रतिशत के रूप में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। सहमत हुए संविदा का कार्य पूर्ण होने की तारीख से दो माह के बाद विवाद न होने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। ऐसी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर मुद्रणालय द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा। अनुबन्ध को पूरा करने एवं उस पर स्टाम्प आदि का जो व्यय होगा वह बोलीदाता फर्म को वहन करना पड़ेगा। क्यकि अधिकारी को निःशुल्क अनुबन्ध की एक स्टाम्प लगी हुई मूल प्रति दी जावेगी। अनुबन्ध के अभाव में बिड निरस्त कर दी जावेगी।
  18. फर्म को भुगतान करने में (राशि के प्रेषण) जो भी अतिरिक्त व्यय होगा वह अनुमोदित फर्म द्वारा वहन किया जावेगा।
  19. यदि अनुमोदित बिडर निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार माल सप्लाई करने में असफल हो जाता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रह जाता है तो मुद्रणालय अन्य प्रकार से व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा जिसमें होने वाली रिस्क कॉस्ट की वसूली बोलीदाता फर्म से की जावेगी।

(2)

मुद्रणालय अनुमोदित आपूर्तिकर्ता द्वारा आदेशित की गई सामग्री सप्लाई नहीं किये गये या छोड़े गये या वितरित कर दिये गये माल में प्राप्त शिकायत के माल को सप्लाई करने के लिए लिखित में सात दिवस को नोटिस दे सकता है एवं बाद उस नोटिस की तामील होने की तारीख से सात दिवस के भीतर अनुमोदित मुद्रक पालना करने में असफल रहता है, तो ऐसे मामलों में यदि मुद्रणालय उचित समझता है तो उसके लिए उस सुरक्षित धन राशि को रोकना न्यायोचित होगा एवं वह जो भी सामान जो अनुमोदित आपूर्तिकर्ता के प्रति बकाया होगा उसे खरीदने के लिए अन्य व्यवस्था कर सकेगा तथा जो भी किसी अन्य अधिकरण के जरिये माल के वितरण करने की व्यवस्था करने में मुद्रणालय को अधिक व्यय वहन करना पड़ेगा, तो वह उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से पूरा किया जावेगा।

20. (1) सामग्री/माल निश्चित किये गये स्थान पर अच्छी दशा में तथा पूर्ण मात्रा में सम्भलवाया जायेगा। यदि अनुमोदित बोलीदाता फर्म चाहती हो तो माल की चोरी होने, आग, बाढ़ एवं समय के खराब होने से या अन्य प्रकार से बचने के लिए माल का बीमा करा सकता है जिसका व्यय स्वयं फर्म को वहन करना पड़ेगा।  
(2) अविवादित स्थिति में सामग्री का भुगतान बिल प्राप्ति के एक माह में किया जावेगा। विवादास्पद सामग्री के मामले में निपटारा होने पर ही बिल का भुगतान किया जावेगा।  
(3) बोलीकर्ता या उसके प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से बिड स्वीकृत करने के लिए प्रयास करने को अयोग्यता माना जावेगा।
21. मुद्रणालय किसी भी बिड को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यूनतम बिड को ही स्वीकार करें। वह किसी भी बिड/बिड के किसी भाग को उसके कारण बताये बिना रद्द कर सकता है। प्राप्त न्यूनतम दरों पर मुद्रणालय बिड में सम्मिलित अन्य बिडर को सहमति होने पर सामान का क्रय कर सकता है।
22. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म के लिए बिक्री कर (वेट) रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति निविदा के साथ आनलाईन करना होगा।
23. बोलीदाता को वैट चुकती प्रमाण-पत्र बिड के साथ आनलाईन करना होगा। इसके अभाव में बिड स्वीकृत नहीं की जायेगी यदि बोलीदाता किन्हीं सत्यभूत कारण से वैट (कर) चुकती प्रमाण-पत्र देने में असमर्थ रही है तो प्राधिकारी बिड पर विचार कर सकता है परन्तु शर्त यह है क्य करने वाले अधिकारी के पास विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण हो, ये कारण अभिलिखित किये जावेंगे तथा बोलीदाता से बाद में प्रमाण-पत्र देने के लिए कहा जा सकता है लेकिन किसी भी मामले में यह प्रमाण-पत्र उसे संविदा पर अनुबन्ध होने से पूर्व देना होगा।
24. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर नियमानुसार शास्ती लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती निविदादाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी।
25. फर्म को पंजीकृत प्रमाण-पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान/कम्पनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप निम्नानुसार है:-

### निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सहपहृत कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

### निविदादाता के हस्ताक्षर

26. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।
27. दरें सभी प्रकार के कर सहित एवं वैट अतिरिक्त देनी होगी।
28. मुद्रणालय को आवश्यकता होने पर ही स्टेशनरी का क्रय किया जा सकेगा।
29. Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.
30. आपूर्ति कार्य मुद्रणालय द्वारा दिये जाने वाले आदेशों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण करना होगा। निर्देशों के विपरीत होने पर माल स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा उस सामग्री की राशि का पूर्ण पुनर्भरण बोलीदाता को ही करना होगा।
31. बोलीदाताओं से उत्पन्न होने वाली सभी विवादों एवं अनुबंध के निर्वचन से सम्बन्धित सभी विवादों के निपटारे के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के तहत उपापन से सम्बन्धित विवादास्पद प्रकरण के सम्बन्ध में अपील की सुनवाई का अधिकार प्रथम अपील प्राधिकारी मुद्रणालय के प्रशासक/संचालक मंडल एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर में निहित है।
32. बिड्स अनुबन्ध की वैधता अनुबन्ध होने की तिथि से 31.03.2018 तक लिये मान्य होगी। इसे आवश्यकता पड़ने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा। मुद्रणालय प्रशासन को अनुबंध अवधि से पूर्व अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
33. बिड स्वीकृत करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रशासक, सहकारी मुद्रणालय को होगा।
34. अनुबंधकर्ता बिडर को आयकर/बिक्रीकर चुकती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
35. सफल बोलीदाता फर्म का अनुबंध सम्पादित करने से पूर्व स्थानीय स्तर पर कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला होना अनिवार्य है। बोलीदाता को अपने कार्यालय, गोदाम व कार्यशाला का पूर्ण पता मुद्रणालय को देना होगा, ताकि संस्था द्वारा निरीक्षण किया जा सके तथा साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम तथा पता भी देना चाहिये, जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क स्थापित किया जा सके।

36. बोलीदाता / फर्म को पहचान हेतु फोटो युक्त आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना है।
37. दोनों बिड्स (निविदाएं) (तकनीकी एवं वित्तीय) वेबसाईट [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) पर अपलोड की जानी है। बिड्स प्रपत्र (टू बिड) एवं शर्ते इस मुद्रणालय की वेबसाईट [www.thecooperativepress.com](http://www.thecooperativepress.com) तथा [eproc.rajasthan.gov.in](http://eproc.rajasthan.gov.in) व [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है। तकनीकी बिड्स के साथ ही बिड्स प्रपत्र की राशि 1000/-, प्रोसेसिंग फीस 1000/- व बोली प्रतिभूति राशि का DD Scan Copy अपलोड करने पर ही तकनीकी बोली में हिस्सा लिया जा सकता है।
38. मुद्रणालय को राजस्थान लोक उपापन में पारिदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में दर्शाये गये नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।
39. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
40. बोली सक्षम बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रस्तुत की जावेगी।
41. संबंधित नमूने व बिल आदि मुद्रणालय में भौतिक रूप से जमा कराये जाने हैं।
42. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।
43. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्य सभी संगत प्रावधान लागू होंगे।

#### **प्रबन्ध निदेशक**

हमने उक्त बिड्स शर्ते पूर्ण रूप से पढ़ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

**हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर**